भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4087

12 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

पीडीएस में टूटे चावल की अनुज्ञेय सीमा

4087. श्री के. ई. प्रकाश:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 01 जुलाई, 2026 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आपूर्ति किए जाने वाले टूटे चावल की अनुज्ञेय सीमा को संशोधित करने से पहले राज्य खरीद एजेंसियों और चावल मिलों की तैयारियों का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या संशोधित गुणवत्ता मानकों के कार्यान्वयन के संबंध में तमिलनाडु राज्य सरकार अथवा राइस मिलिंग संघों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार का संशोधित मानकों के अनुपालन को सुगम बनाने के लिए कोई परिवर्तन अवधि, तकनीकी सहायता या वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है कि संशोधित मानकों के कार्यान्वयन से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्नों की खरीद, मिलिंग प्रचालनों और समय पर वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दिनांक 01.07.2026 को 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (पीएमजीकेएवाई) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के तहत उन्नत गुणवत्ता वाले चावल की देशव्यापी आपूर्ति को मंज़ूरी दी है, जिसमें कच्चे चावल में 10% तक और उसना चावल में 5% तक टूटे हुए चावल हो सकते हैं। उन्नत चावल की यह आपूर्ति चरणबद्ध तरीके से दो वर्षों (केएमएस 2027-28 तक) में की जाएगी।

एफसीआई द्वारा ट्रायल मिलिंग स्टडी और पायलट व पहले चरण के सफल कार्यान्वयन के बाद, सरकार ने 'इम्प्रूव्ड राइस स्कीम' (बेहतर चावल योजना) को अच्छी तरह से योजना बनाकर लागू किया है।

...2/-

शुरुआत में, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने फरवरी 2024 में एफसीआई के माध्यम से तीन राज्यों पंजाब, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में परीक्षण मिलिंग की। परीक्षण मिलिंग में यह पाया गया कि 10% तक कम टूटे हुए चावल वाला कच्चा चावल प्राप्त करना और अतिरिक्त टूटे हुए चावल को अलग करना संभव है।

इसके बाद, 04 राज्यों अर्थात पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 10000 टन प्रत्येक हेतु प्रायोगिक परियोजना चलाई गई।

प्रायोगिक परियोजना के सफल समापन के बाद, योजना का पहला चरण 7 राज्यों में 50 लाख टन की मात्रा के लिए लागू किया जा रहा है।

विभिन्न हितधारकों के साथ क्षेत्रीय दौरों, बैठकों और राज्य स्तरीय सम्मेलनों के माध्यम से विचार-विमर्श किया गया। राज्य एजेंसियों ने मिल मालिकों के साथ भी बैठकें कीं।

(ख): जी नहीं।

(ग) और (घ): यह परिवर्तन दो खरीद मौसमों (केएमएस 2027-28 तक) में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, ताकि खरीद एजेंसियों और चावल मिल मालिकों द्वारा इसे धीरे-धीरे अपनाया जा सके। परिवर्तन अवधि के दौरान, 25% टूटे चावल के साथ सीएमआर और उन्नत चावल दोनों के तहत खरीद जारी रहेगी।

मिल मालिकों को उन्नत गुणवत्ता वाले चावल के प्रसंस्करण हेतु धान के लिए 2.23 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अतिरिक्त मिलिंग प्रभार और 1.23 रुपये प्रति क्विंटल प्रति माह की दर से भंडारण प्रभार की प्रतिपूर्ति की जाती है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को खाद्यान्नों का वितरण पात्रता के अनुसार जारी रहेगा।
